

( राजस्थान भू-राजस्य अधिनियम, 1956 के नियम 139 के अन्तर्गत )

राजस्य रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्य ग्राम <u>सांगाना पंचम खड़ात</u> मू०अ०नि०युक्त <u>आबूरोड</u> तहसील <u>आबूरोड</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०दि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	12	575, 577 वर्ग कि०-6	1.3909	केसरा पुत्र दीता हि० 1/2 जाति गरासिया सा. फेद रस्किन हि० 1/2 राजस्थान मरुधरा ग्रामिण बेंडु गाखा आबूरोड	केसरा पुत्र दीता हि० 1/2 जाति गरासिया सा. फेद रस्किन हि० 1/2 राजस्थान ग्रामिण बेंडु गाखा आबूरोड	
2	12	575, 577 वर्ग कि०-6	1.3909	देवा पुत्र नीमा हि० 1/2 जाति गरासिया सा. फेद रस्किन हि० 1/2 राजस्थान मरुधरा ग्रामिण बेंडु	देवा पुत्र नीमा हि० 1/2 जाति गरासिया सा. फेद रस्किन हि० 1/2 राजस्थान ग्रामिण बेंडु गाखा आबूरोड	
मुतादिक मिसल/जमाबंदी संवत् _____ के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० मू० राजस्य अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष श्रवण योग्य है।				साबिक राजस्य रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।	प०हल्का <u>खड़ात</u> मू०अ०नि० <u>आबूरोड</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण भन्दोबस्त सक्रियाओ के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय को सादर प्रेषित है।	प०हल्का _____ मू०अ०नि० _____ की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जाये।
दिनांक <u>25/1/26</u> <u>पटवारी (म. अ.)</u> <u>पटवार मण्डल खड़ात</u> <u>तहसील-आबूरोड (सिरोही)</u>				दिनांक <u>25/1/26</u> ह० मू०अ०नि० युक्त <u>आबूरोड</u>	ह० राजस्य अधिकारी तहसील-आबूरोड (मू०अ०नि०) <u>आबूरोड</u>	ह० उपखण्ड अधिकारी <u>सहायक कलेक्टर</u> <u>आबूरोड (सिरोही)</u>

आबूरोड

Bhanu  
25/1/26

ह० मू०अ०नि०  
युक्त

ह० राजस्य अधिकारी

ह० उपखण्ड अधिकारी